

**एनएसआईसी की कच्चा माल सहायता स्कीम के संबंध में बारबार-
पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)**

प्रश्न 1 कच्चा माल सहायता स्कीम क्या है .?

उत्तर सूक्ष्म :, लघु और मध्यम उद्यमों को कच्चे माल की खरीद में सहायता (एमएसएमई) देने के लिए, एनएसआईसी, यूनिट की विशिष्ट मांग और जरूरत के अनुसार (यूनिटों) कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है।

प्रश्न 2 . इस स्कीम के अधीन मिलने वाली सहायता का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर : उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाला कोई भी विनिर्माणसेवा एमएसएमई योजना के / तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 3 . क्या एनएसआईसी, ट्रेडिंग संबंधी क्रियाकलापों के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए सुविधा प्रदान करता है?

उत्तर : कच्चा माल सहायता योजना के तहत किसी भी ट्रेडिंग गतिविधि की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 4 क्या एनएसआईसी ., अग्रिम भुगतान या उधार पर कच्चे माल की खरीद के लिए एमएसएमईज को सुविधा प्रदान करता है?

उत्तर एमएसएमई की आवश्यकता के अनुसार एनएसआईसी :ी दोनों तरीकों अर्थात अग्रिम भुगतान पर और उधार पर भी एमएसएमई को कच्चे माल की खरीद में सुविधा प्रदान करता है।

प्रश्न 5. इस स्कीम के अधीन उधार पर कच्चा माल सहायता के लिए कैसे आवेदन करना होगा?

उत्तर : यदि कोई एमएसएमई, एनएसआईसी के माध्यम से कच्चा माल लेना चाहता है, तो वह निर्धारित आवेदनपत्र फार्म में कच्चा माल सहायता के लिए एनएसआईसी के किसी - पत्र-भी फील्ड कार्यालय में आवेदन दे सकता है। यह आवेदनपत्र एनएसआईसी की - वेबसाइट(www.nsic.co.in) से डाउनलोड किया जा सकता है या किसी भी फील्ड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 6 . कच्चा माल सहायता के लिए आवेदनपत्र कहां प्रस्तुत करना होगा-?

उत्तर : विधिवत भरा गया आवेदन पत्र-निर्धारित दस्तावेजों सहित, एनएसआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। एनएसआईसी के कार्यालयों का विवरण www.nsic.co.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 7 .उधार पर सामग्री की खरीद की सीमा कैसे स्वीकृत की जाती है?

उत्तर यूनिट की कच्चे माल की :आवश्यकता, यूनिट की वित्तीय स्थिति और बैंक गारंटी के रूप में समतुल्य मूल्य की उपलब्ध प्रतिभूति को ध्यान में रखते हुए सीमा स्वीकृत की जाती है।

प्रश्न 8क्या इस स्कीम के अधीन स्वीकृति की कोई ऊपरि सीमा है .?

उत्तर जी :, हां। इस स्कीम के तहत एक इकाई के लिए अधिकतम एकसपोजर विनिर्माण इकाई के मामले में .लाख रु 1000, सेवा इकाई के मामले में .लाख रु 600, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट के लिए अधिकतम एकसपोजर लाख रु होगा 500, चाहे व्यक्तिगत हो या समूह। किसी 'समूह' से संबंधित सभी सहयोगीसहायक संस्थाओं या संबंधित खातों में अधिकतम / लाख रु तय की गई है। सेवा 2000 एकसपोजर विनिर्माण इकाइयों के लिए की सीमा लाख 500 लाख रुपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट इकाई के लिए 1500 इकाइयों के लिए रुपये सीमा तय की गई है।

प्रश्न 9इस स्क .ीम के अधीन स्वीकृत सीमाओं की विधिमान्यता कब तक है?

उत्तर एक वर्ष। उसके बाद एक वर्ष के लिए इस सीमा का नवीकरण किया जा सकता है :, बशर्ते कि पिछले वर्ष के दौरान लेखा की स्थिति संतोषजनक रही हो।

प्रश्न10कच्चे माल की खरीद के लिए एनएसआईसी ., एमएसएमईज को उधार की सहायता कैसे उपलब्ध करता है?

उत्तर मूल /भुगतान जारी करने के लिए यूनिट को विशिष्ट अनुरोध सहित प्रोफार्मा बीजक : सामग्री प्राप्ति नोट प्रस्तुत करना होता है। बैंक गारंटी के मूल्य के/बीजक95 प्रतिशत तक अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न11जारी किया जाता है क्या भुगतान एमएसएमई को .?

उत्तर जी :, नहीं। एनएसआईसी, एमएसएमई द्वारा किए जाने वाले अनुरोध के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करता है।

प्रश्न 12उपलब्ध की जाने वाली सहायता की उधार की अवधि क्या होती है .?

उत्तर उधार :180 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन संबंधित जोनल प्रमुख की सहमति से एमएसएमई के अनुरोध पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि यूनिट, ब्याज का भुगतान कर दे बकाया धनराशि बैंक गारंटी की सीमा के अंदर हो और बैंक गारंटी, बढ़ाई गई अवधि तक विधिमान्य रहे।

प्रश्न13कच् .चा माल सहायता स्कीम के अधीन एमएसएमई को क्या लाभ होते हैं?

- थोक आपूर्ति करार व्यवस्था के अधीन प्रदान किया गया कच्चा माल, बिचौलियों को समाप्त करके थोक आपूर्तिकर्ता दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

- थोक आपूर्ति करार के अधीन प्राप्त बट्टे को एमएसएमईज में बांटा जाता है जिससे वे माल की खरीद की लागत कम करने में समर्थ होते हैं।
- उधार पर कच्चे माल की उपलब्धता रहती है और इससे एमएसएमई उपलब्ध आदेशों को निष्पादित कर पाते हैं।

प्रश्न 14 इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के क्या प्रभार हैं?

उत्तर ब्याज की दर और प्रक्रिया शुल्क परिवर्तन के अधीन है, जो निम्नानुसार है:

01.02.2023 को या इसके पश्चात प्राप्त की गई सहायता के संबंध में ब्याज की दरें

ब्योरे		
सामान्य ब्याज (मासिक विराम पर चक्रवृद्धि ब्याज)	सूक्ष्म	लघु एवं मध्यम
दिन के 180अंदर बकाया देय राशियां		
(i) ऐसी यूनितें (एसएमई), जिनकी विधिमान्य रेटिंग एसएमई1 हो।	9.00	9.50
(ii) ऐसी यूनितें (एसएमई), जिनकी विधिमान्य रेटिंग एसएमई2 हो।	9.50	10.00
(iii) अन्य यूनितें	10.00	10.50

प्रोसेसिंग शुल्क:

प्रोसेसिंग फीस	सूक्ष्म	लघु और मध्यम
नई स्वीकृतियों पर	1.0% प्रतिवर्ष	1.0% प्रतिवर्ष
नवीकरण पर	0.5% प्रतिवर्ष	1.0% प्रतिवर्ष

प्रश्न 15 .यदि भुगतान 180 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, तो किस दर पर ब्याज लगाया जाएगा ?

उत्तर :

विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त ब्याज की दर (उपर्युक्त 180 दिन के बाद भुगतान करने पर)	
यदि कोई रकम 180 दिन से अधिक अवधि से बाकी हो।	1.25 प्रतिशत प्रति तिमाही
